केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2018/60146 दिनांक: 20.09.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2018/50626

अपीलकर्ता : श्री शफीक अहमद, एडवोकेट,
न्यू लायर्स चैम्बर नं. 404,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली – 110001.

निर्णय की तारीख: 20.09.2018

ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	15.08.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	06.09.2018, 10.09.2018, 11.09.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्री जीवन चंद्र, श्रीमती सविता तलूजा, श्री एस. के. रब्बानी
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	16.09.2018

1. अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों एवं आउटसोर्सिंग एजेंसियों से संबंधित सात बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में बिंदु सं. 4 एवं बिंदु सं. 6 के तहत प्रदान की गई सूचनाओं के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त ऑनलाईन आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 4 के तहत सी.आई.सी. में कार्यरत आउटसोर्स एजेंसी जीनेन्द्र के सभी कर्मचारियों की सूची नाम, पद एवं डेट ऑफ ज्वाइनिंग की सूचना मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस. के. रब्बानी, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना में कार्मिकों के नाम एवं पदनाम की सूची दी गई है जबकि आयोग में कार्मिकों की डेड ऑफ ज्वाइनिंग नहीं दी है जो कि **केनरा बैंक बनाम सी. एस. श्याम एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश सं. CIVIL APPEAL No. 22 OF 2009 के आलोक में बिल्कुल सही है ।**

3. बिंदु सं. 6 के तहत बी. के. इंटरप्राइजेज एवं जीनेन्द्र इंटरप्राइजेज दोनों पंजीकृत आउटसोर्स एजेंसी हैं या नहीं इसकी सूचना जन सूचना अधिकारी द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से दिए जाने की मांग की गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस. के. रब्बानी एवं श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा उक्त आउटसोर्स एजेंसियों से संबंधित उपलब्ध सूचना अपीलकर्ता को प्रदान की जा चुकी है । इस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम में शपथ पत्र के माध्यम से सूचना दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है । अतः **इनमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।